

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 62]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 फरवरी 2017—माघ 20, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2017

क्र. एफ-8-3-2014-एक-माअप्र.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अधिकारी तथा कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“3.	उप सचिव	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय ए.सी.पी. ग्रेड) अथवा जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर).	51550-1230-58930-1380-63070”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2017

क्र. एफ 8-3-2014-एक-माअप्र.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-3-2014-एक-माअप्र, दिनांक 9 फरवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 9th February 2017

No. F 8-3-2014-I-HRC.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Human Rights Commission, Officers and Employees (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2011, namely:—

AMENDMENT

In the said Rules, in Schedule-I, for serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“3.	Deputy Secretary	1	Chief Judicial Magistrate (II-A.C.P.Grade) or District Judge (Entry Level).	51550-1230-58930-1380-63070”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Addl. Secy.